अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 44/2020-21 (VIII)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	वाद का प्रकार–बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित– श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा– पुरी, थाना नं0– 201, खाता संख्या– 7 प्लॉट संख्या– 1082, रकबा– 90.50 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 1 के पृष्ठ संख्या– 247 पर जमाबंदी रैयत शुकलाल सोरेन पिता दावारी सोरेन के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक– 19/09/2020 को उपस्थापित करें। 03/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।
19.09.2020	अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे।
	19/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शुकलाल सोरेन पिता दरबारी सोरेन

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
नैरो	201	7	1082	90 डि0

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या......1...... पृष्ठ सं0–.....247...... पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है– —

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद मालिक

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई हैं :- डॉ

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयुत का नाम :- गैर आबाद

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) – बंदोबस्ती मु0 वे0 7(VIII) 94-95.

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्तीं पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) संधारित पंजी 2

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एंव वर्ष –

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	—	—	—

अं0 अ0/अ0नि0, गोविन्दपुर

महाशय,

आवेदित भूमि मौजा नैरो थाना सं0 201 खाता 7 प्लॉट सं0 1082 रकबा 90 डि0 संधारित गैर आबाद पंजी के अनुसार गैर आबाद खाता की है - पंजिका कॉलम में बंदोबस्ती 7(VIII)94-95 दर्ज है लगान रसीद निर्गत होने का विवरण दर्ज नहीं है प्रथम दृष्टया उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है।

[signature]
RSIVR